प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 18.04.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 13.12.2021 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त नसीम पुत्र बाबू निवासी मौ0 रहमउल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 बने / अधबने तमंचे व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। इस सम्बंध में मु0अ0सं0 378/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम बनाम नसीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, नगीना जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 378/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त नसीम पुत्र बाबू निवासी मौ0 रहमउल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

नसीम पुत्र बाबू निवासी मौ0 रहमउल्ला कॉलोनी कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 18.04.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 11,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 10.06.2020 को वादी श्री अब्दुल हफीज पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त बरकत पुत्र युसूफ निवासी ग्राम गारोपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने वादी के भतीजे पर जान से मारने की नियत से गोली मार दी । इस संबध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 112/2020 धारा 452/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.06.2020 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त बरकत पुत्र यूसुफ अंसारी निवासी गारोपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को उपरोक्त घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 114/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 112/20 धारा 452/307 भादवि व मु0अ0सं0 114/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त बरकत पुत्र यूसुफ अंसारी निवासी गारोपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 11,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- बरकत पुत्र यूसुफ अंसारी निवासी गारोपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 18.04.2025**

शासन द्वारा चलाये जा रहे ई-रिक्शा सत्यापन अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण ।

उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे ई-रिक्शा सत्यापन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस द्वारा नगर बिजनौर में ई-रिक्शा सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें दिनांक 18.04.2025 को 140 ई-रिक्शाओं को लाकर पुलिस लाइन परिसर में खड़ा किया गया।

जांच में 62 ई-रिक्शाएं अपंजीकृत पायी गयी जो कि पिछले 01 से 02 माह के अन्दर ही खरीदी गयी थी। मौके पर वाहन विक्रेता डीलरों को बुलवाया गया तो उनके द्वारा 01 सप्ताह का समय मांगे जाने पर सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया कि सभी अपंजीकृत ई-रिक्शा स्वामी अपने-अपने ई-रिक्शा का पंजीकरण वाहन विक्रेता डीलर के माध्यम से 01 सप्ताह के अन्दर करवा लें एवं जब तक ई-रिक्शा का पंजीकरण नही हो जाता तब तक ई-रिक्शा सड़क पर नही लेकर आयेगें। यदि भविष्य में अपंजीकृत ई-रिक्शा सडक पर चलती हुई पायी जाती है तो ई-रिक्शा को सीज कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

76 ई-रिक्शाओं पर वाहन चालक की पहचान प्लेट बनवाये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की कार्यवाही की गयी। जिन ई-रिक्शाओं का पंजीकरण नही हो सकता है ऐसी 02 ई-रिक्शाओं को मौके पर ही सीज किया गया।

KHALSA
VYOM

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना मंडावली दिनांक 18.04.2025

थाना मंडावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 43/2025 धारा 103(1)/238(A) से संबधित बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.04.2025 को थाना मंडावली क्षेत्र के रहने वाले वादी द्वारा थाना मण्डावली पर सूचना दी गई कि उसका पुत्र परम (उम्र 04 वर्ष) जोकि घर के पास ही शौचालय के पानी से भरे नवनिर्मित टैंक में गिर गया था तथा उपचार के दौरान चिकित्सक द्वारा उसके पुत्र परम को मृत घोषित कर दिया गया था। थाना मण्डावली पुलिस द्वारा तत्समय मृतक परम के शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया।

दिनांक 17.04.2025 को वादी उपरोक्त ने पुनः थाना मण्डावली पर तहरीर दी कि उसके बेटे परम को उसकी चचेरी बहन (उम्र करीब 13 वर्ष) द्वारा गला दबाकर मार दिया गया और घटना को छिपाने के उद्देश्य से परम को पानी से भरे शौचालय के टैंक में डाल दिया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 43/2025 धारा 103(1)/238(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही का विवरण –

थाना मंडावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मृतक परम की 13 वर्षीय चचेरी बहन को पुलिस निगरानी में लिया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

बाल अपचारी से जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 15.04.2025 को करीब 08.00 बजे सुबह उसके ताऊ का लडका परम उसके घर आया था। परम (मृतक) के द्वारा उसकी छोटी बहन को अपशब्द कहे। इसी बात को लेकर बाल अपचारी द्वारा परम (मृतक) का गला दबा दिया, जिससे वह नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। इसके बाद नवनिर्मित मकान में बने पानी से भरे शौचालय के टैंक में डाल दिया था।

बाल अपचारी का विवरण–

एक बाल अपचारी

पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री रामप्रताप सिंह, थाना प्रभारी मंडावली जनपद बिजनौर।
2- व0उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
3- उ0नि0 महेश चन्द थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
4- मुख्य आरक्षी जयवीर थाना मंडावील जनपद बिजनौर।
5- आरक्षी इमरान थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
6- म0आरक्षी मानसी गौड थाना मंडावली जनपद बिजनौर।
7- म0आरक्षी प्रियंका थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकला **दिनांक – 18.04.2025**

थाना शिवालाकला पुलिस ने मु0अ0सं0 47/25 धारा 109(1)/115(2)/117(2)/118(1)/130/191(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.04.2025 को वादिया ने थाना शिवालाकला पर तहरीर दी कि खेत पर कार्य करते समय 04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के पति अनिल एवं वादिया के साथ मारपीट की । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 47/25 धारा 109(1)/115(2)/117(2)/118(1)/130/191(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त अभिराज पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम रतनगढ थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

थाना शिवालाकला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिराज पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम रतनगढ थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त ललित पुत्र हरवीर निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक लकडी का डन्डा व एक सरिया सहित पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिराज पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम रतनगढ थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अजित सिंह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

3.मुख्य आरक्षी सचिन तोमर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर

4.आरक्षी प्रवीण मौर्य थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर